

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-06/खा० म० कैमूर (भू०हस्ता०)-30/2026-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.06.2026 के मद संख्या-13 में दी गई स्वीकृति के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत अंचल-मोहनियाँ के मौजा-दादर, थाना सं०-524, खाता सं०-127, खेसरा सं०-654 की कुल प्रस्तावित रकबा-07 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि पर डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(आजीव वत्सराज)

अपर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक-06/खा० म० कैमूर (भू०हस्ता०)-30/2026-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-03/2025-26 संलग्न कर लौटाई जाती है।

अनु०-यथोक्त।

(मूल अभिलेख संख्या-03/2025-26)

ह०/-

(आजीव वत्सराज)

अपर सचिव

ज्ञापांक-06/खा० म० कैमूर (भू०हस्ता०)-30/2026-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-09/06/26

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आजीव वत्सराज)

अपर सचिव